संख्या-22 /2019/908/77-3-2019-01एम/19

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महोबा/बांदा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-03 लखनऊः दिनांक : 15 मई, 2019

विषयः बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना से आच्छादित जनपद महोबा को आंवटित धनराशि में से जनपद बांदा को रूपये 172.00 करोड़ को स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को प्रेषित क्रमशः अपने पत्र संख्या-918/डी0एल0आर0सी0-12ए-यूपीडा/2018-19 दिनांक 11.04.2019 व 267/आठ-वि0भू0अ0अ0/बांदा दिनांक 27.4.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, महोबा ने अपने उक्त पत्र दिनांक 11.04.2019 द्वारा सूचित किया है कि बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु अवशेष भूमि के क्रय हेतु लगभग रूपये 119.29 करोड़ की आवश्यकता के दृष्टिगत रूपये 282.00 करोड़ धनराशि आवंटित की गयी है। जिलाधिकारी, बांदा ने अपने उक्त पत्र दिनांक 27.04.2019 द्वारा सूचित किया है कि परियोजना से सम्बन्धित भूमि क्रय हेतु वांछित धनराशि रूपये 466.11 करोड़ के सापेक्ष कुल धनराशि रूपये 172.00 करोड़ आंवटित की गयी है, जो लगभग व्यय हो चुकी है। धनराशि कम होने के कारण कृषकों से उनके बैनामा कराने व भूमि मूल्य के भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न नही हो पायेगी। अतः अवशेष धनराशि अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा ने अपने पत्र संख्या-56/यूपीडा/लेखा/ 17/1098/आंवटन दिनांक 29.04.2019 द्वारा अनुरोध किया गया है कि जनपद महोबा को आंवटित धनराशि रूपये 282.00 करोड़ में से रूपये 172.00 करोड़ वापस लेकर जनपद बांदा को स्थानांतरित कर दी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.	उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी महोबा अपने यहाँ बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु डिपाजिट खाते में जमा धनराशि में से रूपये 172.00 करोड़ जिलाधिकारी, बांदा को स्थानांतरित करेंगे और जिलाधिकारी, बांदा उक्त धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा करेंगे। जिलाधिकारी, बांदा परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से करेंगे तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र यूपीडा तथा शासन को यथा समय प्रेषित करेंगे। यूपीडा का यह दायित्व होगा कि वह आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को भेजते समय व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से सन्तुष्ट कर लेंगे।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव।

संख्या-22/2019/908(1)/77-3-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पर्यटन भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी महोबा/बांदा।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in